

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ-5/अभि/सीटीएडी/12 लिफ्ट बांसवाडा/16-17/35731-42 दिनांक : 5/10/18
परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा।

विषय – ग्रा.पं पादेडी पं.स. अस्थुना नवीन एवं बंद पड़ी सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना को सौर ऊर्जा से संचालित करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंग— श्री जीतमल खांट, माननीय विधायक गढी एवं का पत्र दिनांक 09.01.2018 स्वच्छ परियोजना, बांसवाडा पत्रांक 3073 दिनांक 27.08.2018 ।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों के क्रम में निम्नांकित कार्य की कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना द्वारा प्रेषित विस्तृत सर्वे रिपोर्ट, तकमीना तथा तकनीकी स्वीकृति के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है—

क्र.सं.	जलोत्थान सिंचाई योजना	तकनीकी स्वीकृति		कृषक द्वारा 10% देय राशि	विभाग द्वारा 90% देय राशि
		क्र./दि	राशि		
1	2	3	4	5	6
1	ग्रा.पं पादेडी पं.स. अस्थुना नवीन एवं बंद पड़ी सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना को सौर ऊर्जा से संचालित करना	272 / 01.05.18	32.39	2.85	29.54

उपरोक्त कार्य पर टीएडी मद की देय राशि 29.54 लाख के विरुद्ध विभागीय पत्रांक 26239-51 दिनांक 04.09.2017 के क्रम संख्या 2 पर अंकित कार्य बोरी-11 ग्रा.पं. बोरी पं.स. गढी सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना की जारी स्वीकृति जिसे कार्यालय पत्रांक 35651-61 दिनांक 5.10.18 द्वारा निरस्त किया गया है हेतु टी.ए.डी. मद की हस्तान्तरित राशि 23.00 लाख रु. उक्त सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना में उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यों के सम्पादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जायेगी -

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही किया जावे। वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
3. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।
4. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
5. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यों का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे।
7. प्रस्तावित जल स्रोत में योजना की आवश्यकता के अनुरूप पानी की उपलब्धता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
8. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजनाओं में लाभान्वित होने वाले कृषकों की सूची मय भूमि विवरण सत्यापित कर इस कार्यालय को सूचित किया जावे। योजनाओं से लाभान्वित होने वाले कृषकों में से 50 प्रतिशत से अधिक (संख्या एवं क्षेत्रफल) जनजाति कृषक का होगा।
9. स्वीकृत राशि की 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में लाभान्वित कृषकों से ली जायेगी। कृषकों का अंशदान नकद/श्रम के रूप में लाभान्वितों कृषकों से अनिवार्य रूप से वहन किया जाना सुनिश्चित करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किए जावे।
10. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा योजना के निर्माण क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु लाभार्थियों की समिति गठित की जावे एवं कमेटी का अध्यक्ष जनजाति लाभार्थियों में से होगा।

कृ.पृ.उ.

11. परियोजना अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यो की मोनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक की अध्यक्षता मे कमेटी गठित की जावे।
12. निर्माण कार्य पश्चात् कार्य संचालन हेतु परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास के अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाकर रख-रखाव हेतु प्रति माह बैठक रखी जावे तथा बैठक का कार्यवाही विवरण जिला कलक्टर को प्रस्तुत किया जावे।
13. निर्माण कार्य पूर्ण होने से तीन वर्ष तक परियोजनाओं का रखरखाव कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। योजना चालु होने का प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष लाभान्वितों, स्वच्छ परियोजना एवं ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग जारी किये जावे। इन प्रमाण-पत्रों के आधार पर ही प्रतिवर्ष रख रखाव का भुगतान किया जावे।
14. विभाग द्वारा स्वीकृत टीएडी मद की राशि नियमानुसार कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना को उपलब्ध कराई जायेगी। योजना के 3 वर्ष तक के संचालन हेतु प्रावधित राशि योजना पूर्ण होने के पश्चात् योजना के सफल संचालन पर हस्तान्तरित की जायेगी।
15. स्वच्छ परियोजना द्वारा समय-2 पर (सिंचाई के समय 15 दिवस एवं शेष समय में 2 माह में एक बार) लाभान्वितों की बैठक आयोजित की जावे। जिसमें संचालन एवं आपसी विवाद यथा अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचना, आदि समस्याओं का निराकरण किया जावे।
16. स्वच्छ परियोजना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समय-समय पर कृषि अधिकारियों/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा फसल चक्र, उन्नत बीज, खाद की जानकारी कृषकों को दी जावे।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा)

आयुक्त

क्र. एफ-5/अभि/सीटीएडी/लिफ्ट/16-17/35731-42
प्रतिलिपि-

दिनांक : 5/10/18

1. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. श्री , मा. विधायक, विधानसभा क्षेत्र.....
3. जिला कलक्टर बांसवाडा।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना, बडी रोड उदयपुर।
5. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, लोधा जीएसएस के सामने, डूंगरपुर रोड, बांसवाडा।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना सा.नि.वि. डाक बंगले के सामने सिविल लाईन, बांसवाडा।
10. गार्ड फाईल।

आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721
ई-मेल : comm.tad@gmail.com, Website www.tad.rajasthan.gov.in